सप्तदश माला, खंड 23, अंक 16 **सोमवार, 20 मार्च, 2023**

29 फाल्गुन, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कैलाश बैसोया
संयुक्त निदेशक

आकाशदीप शंकर
संयुक्त निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 23, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1944 (शक)

अंक 16, सोमवार, 20 मार्च 2023 / 29 फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के लिखित उत्तर	14
तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 280 तक	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 तक	

सभा पटल पर रखे गए पत्र 16-57

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति
19वां प्रतिवेदन 58

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति
प्रतिवेदन 58

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
विवरण 59

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति
17वां और 18वां प्रतिवेदन 60

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
20वें से 22वां प्रतिवेदन 61

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति
242वें से 244वां प्रतिवेदन 62

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति
373वें से 379वां प्रतिवेदन 63

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति
143वें से 145वां प्रतिवेदन 64

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति
126वें से 130वां प्रतिवेदन 65

'ऋणों का एकीकरण' के संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के 04.04.2022 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने और विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण 66-78

सभा का कार्य 79-80

नियम 377 के अधीन मामले 81-107

(एक) सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 81-82

(दो) उत्तर प्रदेश के कौशांबी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान किए जाने और क्षेत्र में एक ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर 82

(तीन) झारखंड में कोयले की ढुलाई अनिवार्य रूप से ढके हुए ट्रकों और रेल वैगनों में किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत सिन्हा 83

(चार) निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिये कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार को वहनीय बनाए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीप शइकीया 84

(पाँच) हरियाणा के कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर में बाईपास सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री नायब सिंह सैनी 85

(छः) सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 86

(सात) मध्य प्रदेश के मक्सी-रूठियाई रेल खंड का दोहरीकरण किए जाने के बारे में

श्री रोड़मल नागर 87

(आठ) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में रिंग रोड का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल 88

(नौ) बिहार के औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह 89

(दस) महाराष्ट्र के लातूर जिले के ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे 90-91

(ग्यारह) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. पी. चौधरी 92

(बारह) राजस्थान के जयपुर में खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा 93

(तेरह) रेलवे माल गोदाम के साथ-साथ गौरहाटी घाट में कोयला डिपो पर कटाव के प्रभाव की जाँच किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती लॉकेट चटर्जी 94

(चौदह) पर्ल एग्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड के निवेशकों का धन वापस किए जाने के बारे में

श्री सुभाष चंद्र बहेरिया 95

(पंद्रह) कुलियांग गांव के जैंतिया हिल्स में लैंड कस्टम स्टेशन खोले जाने के बारे में

श्री विनसेंट एच. पाला 96

(सोलह) किशनगंज - जलालगढ़ रेलवे लाइन परियोजना के बारे में

डॉ. मोहम्मद जावेद 97

(सत्रह) देश में ठोस अपशिष्ट उपचार प्रबंधन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन 98

(अट्ठारह) धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. 99

(उन्नीस) बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्याओं के समाधान के लिए समग्र शिक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 100

(बीस) सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के उचित क्रियान्वयन के बारे में

श्री श्रीधर कोटागिरी 101

(इक्कीस) मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रदूषण के बारे में

श्री राहुल रमेश शेवाले 102

(बाईस) सुपौल जिले को आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलेश्वर कामैत 103

(तेईस) ओडिशा में कोविड प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में

कुमारी चंद्राणी मुर्मु 104

(चौबीस) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने और मंडुरी हवाई अड्डे से उड़ानों को शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता आज़ाद 105

(पच्चीस) बिहार में खगड़िया और पूर्णिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 को चार लेन का किए जाने और इसके निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने के बारे में
चौधरी महबूब अली कैसर 106

(छब्बीस) गुंटूर यार्ड की रीमॉडलिंग किए जाने के बारे में 107
श्री जयदेव गल्ला

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 20 मार्च, 2023 / 29 फाल्गुन, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 261

श्री दिलीप शइकीया।

... (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न काल है। प्रश्न काल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के अंदर प्रश्न काल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों/प्रक्रियाओं के तहत नोटिस देगा, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूँगा। सदन में मैं आप सभी लोगों से यह आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ, इसलिए आप प्रश्न काल चलने दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन आपका है। मेरा प्रयास है कि आप सभी लोग बैठ जाइए और सदन चले। सदन आपका है। देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह है और उनसे भी आग्रह है। आप सभी लोग बैठिए। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, प्रश्न काल के बाद उस स्थगन प्रस्ताव पर मैं नियमों के तहत व्यवस्था दूँगा। मैं प्रश्न काल के बाद व्यवस्था दूँगा। जिन भी माननीय

सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव नियमों के तहत आते हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन आपका है। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। आप बैठिए। आप भी बैठिए। प्रश्न काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नारेबाजी क्यों कर रहे हो? सदन चलने दीजिए। आप नारेबाजी क्यों कर रहे हो? माननीय सदस्य, यह सदन नारेबाजी के लिए नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है। यह सदन नारेबाजी के लिए नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। पार्लियामेंट फंक्शन करे, पार्लियामेंट चले, क्या इसके लिए आप तखितयाँ लेकर आएंगे? क्या यह आपका पार्लियामेंट फंक्शन कराने का तरीका है? पार्लियामेंट फंक्शन करे, क्या इसके लिए आप तख्तियाँ लेकर आ रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तख्तियाँ नीचे कीजिए। पार्लियामेंट फंक्शन करे, इसके लिए कोई तख्तियाँ लेकर नहीं आता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम आपको एलाऊ करेंगे, निश्चित रूप से एलाऊ करेंगे। प्रश्न काल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन प्रस्ताव को खारिज करूं, तो उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन तो सबका है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप आएं, बैठें, चर्चा करें। चैम्बर में आएं, चर्चा करें। सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे। आपके विशेष मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आग्रह है कि अगर आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा।

... (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर[1]

(तारांकित प्रश्न सं. 261 से 280 तक

अतारांकित प्रश्न सं. 2991 से 3220)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोकसभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण्, मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नंबर-1 - श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) निधि (संशोधन) नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी (पंजीकरण करने के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2023, जो 21 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2023, जो 21 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 42 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरण-पुस्तिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(12) कंपनी (प्रकीर्ण) संशोधन नियम, 2023, जो 24 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एलटी 9129/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री श्रीपाद येसो नाईक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9130/17/23)

(3) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 445 (अ) जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नौचालन के लिए सामान्य सहायता के रूप में नौचालन के लिए सहायक उपकरणों का विनिर्धारिण अधिसूचित किया गया है ।

(दो) का.आ. 711(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की

अवधि के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिल कर बनी केन्द्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9131/17/23)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9132/17/23)

(3) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9133/17/23)

(5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9134/17/23)

(7) (एक) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9135/17/23)

(9) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9136/17/23)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (i) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(ii) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (i) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 20212022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ii) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (i) एलांयस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 20212022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ii) एलांयस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9137/17/23)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) विद्युत (संशोधन) नियम, 2022, जो 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9138/17/23)

(2) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) संशोधन नियम, 2023, जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9139/17/23)

(3) जम्मू और कश्मीर तथा लद्धाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) नियम, 2023,जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9140/17/23)

(4) विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) संशोधन नियम, 2023,जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9141/17/23)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.124(अ) जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जलयानों और अन्य तैरती सरंचनाओं पर ब्रेकिंग अप के लिए 31 मार्च, 2025 तक आधारभूत सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 154(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं. 104/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.169(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2022 की अधिसूचना सं. 30/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.170(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9142/17/23)

(2) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.102(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.103(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.166(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.167 (अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.168(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 0 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9143/17/23)

(3) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.153(अ), जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49 वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9144/17/23)

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.141(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2023-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिनमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.142(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पतिकी किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.147(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी

49 वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.150(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49 वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9145/17/23)

(5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.143(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.144(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49 वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर

28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.148(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49 वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.151(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49 वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9146/17/23)

(6) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 145 (अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49 वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 146(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.149(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा

उसकी 49 वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.152(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49 वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9147/17/23)

(7) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ (भारतऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार के अंतर्गत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2022, जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 897 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9148/17/23)

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9149/17/23)

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता (संशोधन) विनियम, 2023 जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी क्रय नीति) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/120 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क का भुगतान तथा भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2023/121 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/122 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2023/123 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज़ और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/125 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/126 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स)(संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2023/116 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9150/17/23)

(10) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों के नियंत्रण में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9151/17/23)

(11) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक)प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/93 में प्रकाशित हुए थे।

(दो)प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/124 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9152/17/23)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे सहयोगी प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी की ओर से, मैं विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9153/17/23)

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9154/17/23)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2022,जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/5-आरओ(1)/2022 (पी-3803) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2022,जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9155/17/23)

(2) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023, जो 13 फरवरी, 2023 की

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 93(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9156/17/23)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9157/17/23)

(3) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9158/17/23)

(5) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9159/17/23)

(7) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9160/17/23)

(9) (एक) समग्र शिक्षा, असम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, असम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9161/17/23)

(11) (एक) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9162/17/23)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली केवर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9166/17/23)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुनराम मेघवाल): महोदय, मेरे सहयोगी श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लद्धाख भू-संपदा (विनियमन और विकास) (विक्रय के लिए करार) नियम, 2023 जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9163/17/23)

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9164/17/23)

(4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए मेट्रो रेल चालू किया जाना (संशोधन) नियम, 2023,जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9165/17/23)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मेरे सहयोगी श्री भगवंत खुबा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित

(1) पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 20212022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 20212022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9167/17/23)

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए. एस. नगर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9168/17/23)

(5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9169/17/23)

(6) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9170/17/23)

(8) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9171/17/23)

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कर्णाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्णाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 20212022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 9172/17/23)

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 20212022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 20212022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9173/17/23)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9174/17/23)

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9175/17/23)

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(*ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.* 9176/17/23)

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9177/17/23)

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9178/17/23)

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9179/17/23)

(13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9180/17/23)

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9181/17/23)

(17) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9182/17/23)

(19) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9183/17/23)

(21) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9184/17/23)

(23) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9185/17/23)

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9186/17/23)

(27) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9187/17/23)

(29) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9188/17/23)

(31) (एक) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9189/17/23)

(33) (एक) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9190/17/23)

(35) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9191/17/23)

(37) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9192/17/23)

(39) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9193/17/23)

(41) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9194/17/23)

(43) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9195/17/23)

(45) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9196/17/23)

(47) (एक) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9197/17/23)

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (रिकॉर्ड तक पहुंच) विनियम, 2021 की एक कॉपी (हिंदी और अंग्रेज़ी संस्करण), जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के तहत, 23 फरवरी2023 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. आर आई एम वी -148/विनियम में प्रकाशित हुए।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9198/17/23)

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक की जुलाई, 2021 से जून, 2022 की अवधि के लिए 'भारत में आवासन के रुझान और प्रगति संबंधी प्रतिवेदन 2022' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9199/17/23)

... (*व्यवधान*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखती हूं:-

(1) खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2023, जो 11 जनवरी, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एसटीडी/अधिसूचना/35.1/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम, 2023,जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 11012/038/2016-2017/एफएसएसएआई/एफ एंड ए में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9200/17/23)

(2) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9201/17/23)

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9202/17/23)

(6) (एक) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 20212022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 20212022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9203/17/23)

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9204/17/23)

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), वडोदरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), वडोदरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9205/17/23)

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी केवर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9206/17/23)

(14) (एक) भारतीय भेषज़ संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 20212022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भेषज़ संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9207/17/23)

... (*व्यवधान*)

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (ई. बिश्वेश्वर टुडू): महोदय, मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग; जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9208/17/23)

... (*व्यवधान*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (प्रो.) महेंद्र मुंजपरा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9209/17/23)

(3) (एक) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9210/17/23)

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.05 बजे

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति

19वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): माननीय सभापति जी, मैं 'वर्ष 2020 के प्रतिवेदन संख्यांक 18 के सीएण्डएजी लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.1 के आधार पर इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित सड़क परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की समीक्षा' विषय के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.05$^{1/2}$ बजे

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति जी, मैं जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2. 06 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय सभापति जी, मैं 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' विषय के बारे में गृह मंत्रालय से संबंधित पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2. 06½ बजे

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

17वां तथा 18वां प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): माननीय सभापति जी, मैं आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूः-

(1) 'प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकनविषय संबंधी ' सत्रहवां प्रतिवेदन(सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों'(2023-24)' संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

———————————

... (व्यवधान)

अपराह्न 2. 07 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

20वें "से" 22वां "प्रतिवेदन"

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): माननीय सभापति जी, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अनुदानों की मांगों'(2023-24)' संबंधी 20 वां प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की मांगों(2023-24)' संबंधी 21 वां प्रतिवेदन।

(3) 'भू-जल: एक बहुमूल्य किंतु घटता संसाधन विषय पर '22वां प्रतिवेदन।

———————————

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2. 08 बजे</u>

[अनुवाद]

<u>गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति</u>

242वें से 244वां प्रतिवेदन

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. 'गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 242वां प्रतिवेदन।
2. 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों माँग (2023-24)' संबंधी 243वां प्रतिवेदन।
3. 'पुलिस-प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार' के बारे में 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 244वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 2. 09 बजे</u>

[हिंदी]

<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति</u>

373वें से 379वां प्रतिवेदन

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): माननीय सभापति जी, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 373वां प्रतिवेदन।

(2) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 374वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (20232024) संबंधी 375 वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 376 वां प्रतिवेदन।

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 377वां प्रतिवेदन

(6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (20232024) संबंधी 378वां प्रतिवेदन।

(7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 379वां प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.10 बजे

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

143वें "से" 145वां "प्रतिवेदन"

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव (गुना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 (मांग संख्या 46) के बारे में समिति का 143वां प्रतिवेदन।
2. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 (मांग संख्या 47) के बारे में समिति का 144 वां प्रतिवेदन।
3. आयुष मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 (मांग संख्या 4) के बारे में समिति का 145वां प्रतिवेदन।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.11 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

126वें से 130वां प्रतिवेदन

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 126वां प्रतिवेदन।

(2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 127वां प्रतिवेदन।

(3) न्याय विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 128वां प्रतिवेदन।

(4) विधि कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 129वां प्रतिवेदन।

(5) विधायी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.12 बजे</u>

ऋणों का एकीकरण के संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के 04.04.2022 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने और विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण (एक) 'ऋणों का एकीकरण ' के बारे में श्री मणिक्कम टैगोर संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के 04.04.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

[2]

"लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला पत्र "

अभिप्रमाणित

(डॉ. भागवत कराड)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

ऋणों के एकीकरण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 4.4.2022 को दिए गए अतारांकित प्रश्न्न संख्या 5085 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर की त्रुटि को ठीक करते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा रखा जाने वाला विवरण

मैं दिनांक 4.4.2022 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के उत्तर में दिए गए भाग (बी) और (सी) को "ऋणों का एकीकरण" के संबंध में निम्नानुसार सही करने के लिए विनती करता हूं

प्रश्न	दिए गए उत्तर के स्थान पर	संशोधित उत्तर पढ़ा जाए

[2] * सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें सं. एल.टी. 9128/17/23

(ख) क्या एसबीआई आवास ऋण की राशि के साथ एसबीआई सुरक्षा ऋण की राशि की संस्वीकृति असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	(ख): भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई सुरक्षा ऋण फरवरी, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक के विस्तार में सुरक्षा ऋण को कवर करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर साधारण धारणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया है। गया है।	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई सुरक्षा ऋण अप्रैल, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। एसबीआई ने यह भी सूचित किया है लि. सुरक्षा ऋण को कवर करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक का विस्तार अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर सामान्य ग्रहणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया गया
(ग) क्या एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत संस्वीकृत राशि सामायिक बंधक या सामायिक बंधक के विस्तार के	(ग): भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, फरवरी, 2018 से एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद केअंतर्गत स्वीकृत किए	(ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मई, 2012 के अनुदेशों के अनुसार एसबीआईसुरक्षा ऋण उत्पाद के

अंतर्गत की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;	गए ऋण यथार्थ बंधक द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि फरवरी, 2018 से पहले स्वीकृत सुरक्षा ऋण को आवासीय ऋण संपत्ति के बंधक का विस्तार करके कवर किया गया था।	अंतर्गत स्वीकृत राशि को न्यायसंगत बंधक या न्यायसंगत बंधक (ईएम) के विस्तार द्वारा कवर किया जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह वैकल्पिक था और अप्रैल, 2018 के अनुदेशों तक सुरक्षा ऋण खाते को गृह ऋण खाते से जोड़ा जाना जारी रखा गया था। एसबीआई के अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसार, अंतर्निहित आवास ऋाः के साथ लिंकेज को वापस ले लिया गया था, जिससे सुरक्षा क्रः संबंधी न्यायसंगत बंधक के विस्तार को पूर्णतः वापस ले लिया गया था।

त्रुटि के लिए खेद है।

"लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला पत्र "

अभिप्रमाणित

(डॉ. भागवत कराड)

वित्त राज्य मंत्री

"ऋणों का एकीकरण" के संबंध में श्री मणिक्कम टैगोर बी द्वारा दिनांक 4.4.2022 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के संबंध में सुधार विवरण तैयार करने में देरी का कारण स्पष्ट करने वाला विवरण।

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 का उत्तर 4 अप्रैल, 2022 को दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर दिया गया था क्योंकि प्रश्न भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए ऋणों से संबंधित था। बाद में, दिनांक 29.6.2022 को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) अनुभाग को सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दिनांक 4.4.2022 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 5085 के संबंध में दिए गए उत्तर में अशुद्धि पर प्रकाश डाला गया था। चूंकि शिकायत एसबीआई की ऋण योजना से संबंधित थी, इसलिए शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत को दिनांक 30.6.2022 को एसबीआई को अग्रेषित कर दिया गया था। एसबीआई ने शिकायत की जांच के पश्चात्,

दिनांक 14.7.2022 को सीपीग्राम पोर्टल "र अपना प्रत्युत्तर दिया था। सीपीग्राम पोर्टल पर दिए गए उत्तर से यह पता चला था कि एसबीआई ने इस विभाग के संदर्भ में इस प्रश्न के भाग (ख) और भाग (ग) का उत्तर अग्रेषित करते समय एक चूक की थी। एसबीआई के अनुसार, उत्तर में जिस तिथि से एसबीआई सुरक्षा ऋण अप्रतिभूत ऋण बना वह तिथि फरवरी, 2018 के स्थान पर अप्रैल, 2018 होनी चाहिए थी। बाद में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने दिनांक 28.7.2022 को एसबीआई को पत्र लिखकर शिकायतकर्ता द्वारा सीपीग्राम पोर्टल पर बताई गई त्रुटि के संबंध में एसबीआई की स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत उत्तर देने का अनुरोध किया था। इस मामले में एसबीआई से विस्तृत उत्तर दिनांक 11.8.2022 को प्राप्त हुआ था।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तर में सुधार किए जाने की सूचना उत्तर दिए जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर नहीं भेजी जा सकी। दिनांक 4.4.2022 को दिए गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 5085 के उत्तर के भाग (ख) और भाग (ग) में सुधार किए जाने के संबंध में एक विवरण वर्तमान सत्र के दौरान लोक सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

सही उत्तर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5085

जिएका उत्तर 04 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया

ऋणों का एकीकरण

5085. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 के तहत दो सुरक्षित ऋणों के एकीकरण की अनुमति है और यदि हाँ, तो किन शर्तों के अंतर्गत इसकी अनुमति है;

(ख) क्या एसबीआई आवास ऋण की राशि के साथ एसबीआई सुरक्षा ऋण की राशि की संस्वीकृति असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत संस्वीकृत राशि सामायिक बंधक या सामायिक बंधक के विस्तार के अतर्गत की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसबीआई 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 को लागू करता है जब एसबीआई आवास ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यदि हां, तो उसका पैरा क्या है; और

(ड.) क्या सरफेसी अधिनियम, 2002 लागू करता है, जब एसबीआई आवास ऋण आते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करता हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदह पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 1.10.2021 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.7.1 के अनुसार, बैंक द्वारा किसी उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उस उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को अनर्जक आस्ति (एनपीए)/ अनर्जक निवेश (एनपीआई) माना जाएगा, न कि किसी सुविधा विशेष/निवेश या उसके किसी भाग को, जो अनियमित हो गया हो।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002, में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूत लेनदार द्वारा खाते को अनर्जक व्यास्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद प्रतिभूति डित के प्रवर्तन का प्रावधान शामिल हैं।

(ख): भारतीय टेट बैंकः (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसचीआई सुरक्षा ऋण अप्रैल, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। एसबीआई ने यह भी सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण को कवर करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक का विस्तार अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर सामान्य ग्रहणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया गया है।

(ग): भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मई, 2012 के अनुदेशों के अनुतर एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत स्वीकृत राशि को न्यायसंगत बंधक या न्यायसंगत बंधक (ईएम के विस्तार द्वारा कवर किया जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह वैकल्पिक था और अप्रैल, 2018 के अनुदेशों तक सुरक्षा ऋण खाते को गृह ऋण खाते से जोड़ा जाना जारी रखा गया था। एसबीआई के अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसार, अंतर्निहित आवास ऋण के साथ लिंकेज को वापस ले लिया गया था, जिससे सुरक्षा ऋण के लिए न्यायसंगत बंधक के विस्तार को पूर्णतः वापस ले लिया गया था।

(घ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि व्यक्तिगत खातों में से किसी खाते के अनर्जक आस्ति (एनपीए) हो जाने पर एक ही ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी खातों को अनर्जक आरित (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिभूत खातों में सरफासी कार्रवाई की जाती है।

(ङ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जब कोई एसबीआई आवास ऋण खाता अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में अगीकृत किया जाता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के

दिशानिर्देशानुसार एक ह। ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी ऋण खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार सरफासी कार्रवाई केवल प्रतिभूत खातों में ही की जाती है।

*****

मूल उत्तर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5085

जिसका उत्तर 04 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया

ऋणों का एकीकरण

5085. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या विज्ञ मंत्रां यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 के तहत दो सुरक्षित ऋणों के एकीकरण की अनुमति है और यदि हाँ, तो किन शर्तों के अंतर्गत इसकीअनुमति है;

(ख) क्या एसबीआई आवास ऋण की राशि के साथ एसबीआई सुरक्षा ऋण की राशि की संस्वीकृतिं असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत संस्वीकृत राशि सामायिक बंधक या सामायिक बंधक के विस्तार के अंतर्गत की गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसबीआई 'सरफेसी' अधिनियम, 2002 को लागू करता है जब एसबीआई आवास ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरफेसी अधिनियम, 2002 लागू करता है, जब एसबीआई आवास ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करता हो, लेकिन संबद्ध एसबीआई सुरक्षा ऋण खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 1.10.2021 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.7.1 के अनुसार, बैंक द्वारा किसी उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उस उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनर्जक निवेश (एनपीआई) माना जाएगा, न कि किसी सुविधा विशेष/निवेश या उसके किसी भाग को, जो अनियमित हो गया हो।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002, में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूत लेनदार द्वारा खाते हो अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का प्रावध'न शामिल हैं।

(ख): भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई सुरक्षा ऋण फरवरी, 2018 से अप्रतिभूत ऋण है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा वित्तपोषित आवासीय संपत्ति पर बंधक के विस्तार में सुरक्षा ऋण को कवर करना अनिवार्य नहीं

है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि सुरक्षा ऋण के करार में संपत्ति पर साधारण धारणाधिकार के उपयुक्त खंड को शामिल किया गया है।

(ग): भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, फरवरी, 2018 से एसबीआई सुरक्षा ऋण उत्पाद के अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋण यथार्थ बंधक द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि फरवरी, 2018 से पहले स्वीकृत सुरक्षा ऋण को आवासीय ऋण संपत्ति के बंधक का विस्तार करके कवर किया गया था।

(घ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि व्यक्तिगत खातों में से किसी खाते के अनर्जक आस्ति (एनपीए) हो जाने पर एक ही ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूत खातों में सरफासी कार्रवाई की जाती है।

(ङ): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जब कोई एसबीआई आवास ऋण खाता अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशानुसार एक ही ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी ऋण खातों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार सरफ़ासी कार्रवाई केबल प्रतिभूत खातों में ही की जाती है।

*****

<u>अपराह्न 2.13 बजे</u>

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सोमवार, 20 मार्च, 2023 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगे :

1. आज के आदेश पत्र से किए गए सरकारी कामकाज के किसी भी मद पर विचार:- [इसमें शामिल है (i) 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर सामान्य चर्चा (ii) केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित करना (iii) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान वित्तीय वर्ष 2022-23 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित करना (iv) 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच की चर्चा और मतदान और परिचय, विचार और पारित करना संबंधित विनियोग विधेयक, और (v) रेल मंत्रालय के नियंत्रण में 2023-24 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान]
2. निम्नलिखित मंत्रालयों की 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान:-

   (i) (क) ग्रामीण विकास (ख) पंचायती राज [एक साथ लिया जाएगा]

   (ii) जनजातीय मामले

   (iii) (क) पर्यटन (ख) संस्कृति [एक साथ लिया जाएगा]

   (iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

3. 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदान की बकाया मांगों का गिलोटीन।

4. वित्त विधेयक, 2023 पर विचार करना और पारित करना।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम- 377 के तहत मेंबर्स अपने महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए और सभा की कार्यवाही शांति से चलने दीजिए।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.15 बजे</u>

[हिंदी]

नियम 377 के अधीन मामले[3]

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना): दुनिया के खेल जगत में भारत के खिलाड़ी बहुत तेजगति से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खेलो इंडिया खेलो का जो कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो के लिये तैयार किया जा रहा है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में सबसे पहले विभिन्न खेलों की सांसद ट्राफी का आयोजन वर्ष 2011 से लगातार कर रहा हूँ। मेरा शहर सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है। साथ ही 35 करोड़ रूपये की लागत से मल्टी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बन रहा है। दादा सुखेन्द्र स्टेडियम का 8 करोड़ रूपये की लागत से उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। धवारी क्रिकेट स्टेडियम को भी 6 करोड़ रूपये की लागत से नई सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगातार मेरी मांग सतना में साई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की है, लेकिन आज तक नहीं मिला। खेलो इंडिया खेलो के तहत बैडमिन्टन का प्रशिक्षण मिला

[3] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

है। लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीवॉल, कबड्डी जैसे कई ओलम्पिक गेम्स हैं, जो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ खेले जाते हैं। इनमें से किसी खेल का प्रशिक्षण केन्द्र सतना में दिया जाए।

(दो)उत्तर प्रदेश के कौशांबी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान किए जाने और क्षेत्र में एक ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): मैं सरकार का ध्यान बीड़ी मजदूरों की स्वास्थ्य चिंता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कौशाम्बी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 45 लाख बीड़ी श्रमिक हैं। इनमें से अधिकांश घर से काम करने वाली महिला श्रमिक हैं। बीड़ी उधयोग से सरकार को करोड़ों रूपये का राजस्व प्राप्त होता है इसलिए बीड़ी श्रमिकों की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। इन श्रमिकों को सामूहिक बीमा योजना में स्वाभाविक दुर्घटना में मृत्यु लाभ की राशि को दोगुना किया जाए। जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें पेंशन दिया जाना चाहिए। बीड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अनुदान और स्कोलरशिप कम्प्लसरी कर दिया जाना चाहिए। कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, उनके लिए अलग से कम से कम 10 या 20 कमरों का अस्पताल बने, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पेथोलोजी की व्यवस्था हो। प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील मे *ईएसआईसी* अस्पताल के निर्माण की आवश्यकता है जिससे इन लोगों को समय पर इलाज मिल सके। इसलिए यहाँ पर अति शीघ्र *ईएसआईसी* अस्पताल का निर्माण करवाया जाए।

(तीन) झारखंड में कोयले की ढुलाई अनिवार्य रूप से ढके हुए ट्रकों और रेल वैगनों में किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): झारखंड के 24 में से 13 जिले कोयले के भंडार से समृद्ध हैं। हालांकि, अनियंत्रित खनन, कोयले के जलने और विशेष रूप से खानों से बिजली संयंत्रों तक खुले परिवहन के कारण, वायु प्रदूषण भी राज्य में गंभीर होता जा रहा है। यह राज्य में पर्यावरणीय संकट और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों का कारण बन रहा है।

खुले ट्रकों और रेलवे वैगनों में कोयले की ढुलाई झारखंड में एक आम दृश्य है, और परिवहन के दौरान निकलने वाली कोयले की धूल और अन्य प्रदूषकों से इन मार्गों के आसपास रहने वाले लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं, फेफड़ों के रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा, कोयले के खुले परिवहन से सड़कों, इमारतों, फसलों और जल निकायों पर कोयले की धूल का जमाव हो रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन दूषित हो रहे हैं। यह जानवरों में भी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि झारखंड में कोयले के परिवहन के लिए ढके हुए ट्रकों और वैगनों के उपयोग को अनिवार्य करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाना चाहिए। मैं सरकार से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी अनुरोध करता हूं।

(चार) निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार को वहनीय बनाए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): कैंसर और गंभीर रोगो के मरीजों का इलाज और दवाइया निशु:ल्क उपलब्ध कराने के संदर्भ में असम और नार्थ ईस्ट सहित देश में कैंसर रोग आज एक महामारी का रूप ले रहा है। विश्व स्वस्थ्य संगठन के मुताबित वर्तमान में दुनिया के 20 फीसदी कैंसर मरीज भारत में है। इस बीमारी के कारण हर साल 75000 लोगों की मौत होती है। हजारो लाखो परिवार महंगी इलाज के कारण आर्थिक मानसिक रूप से तबाह हो जाता है। असम सहित उतर पूर्वोतर क्षेत्र मे कैसर के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। एक आकडे के अनुसार पिछले 10 वर्ष में 210 प्रतिशत कैंसर मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ के मरीजों को कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वेल्लोर तथा देश के कोने कोने में भटकना पडता है। रोगी और उसके परिवार के लिए यह बहुत पीडादायक होता है। मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार को कैंसर सहित अन्य गंभीर रोगो का सही इलाज हेतु तथा महंगे खर्चे से राहत देने के लिए तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए।

(पांच) **हरियाणा के कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर में बाईपास सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं सरकार का ध्यान ध्यान पटियाला से हरिद्वार जाने वाली सड़क की ओर दिलाना चाहता हूँ जो देश के चार राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड को आपस में जोड़ती है। इस सड़क की कुल लम्बाई 223 किलोमीटर है जिसका अहम् हिस्सा मेरी लोकसभा के 5 बड़े शहरों पेहोवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रादौर व यमुना नगर से होकर गुजरता है और देश के चार राष्ट्रीय राजमार्गी 152-*डी* , 152, 44 व 344 को विभिन्न जगहों पर क्रॉस करता है। इस क्षेत्र के अधिकत्तर लोग किसान है और उनके उत्पाद के लिए यहाँ 3 चीनी की मीले, 5 अनाज मंडी, 5 सब्जी मंडी व हरियाणा की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी है। इसी मार्ग द्वारा व्यापारी भाई अपना माल देश के दूसरे भागों में भेजते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, यमुना नगर, व पेहोवा जाने माने धार्मिक तीर्थ स्थल है जहाँ पर साल भर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। इन्ही कारणों से यह मार्ग बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर में तो हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता है जिस कारण आये दिन यहाँ पर जानलेवा दुर्घटनाये होती रहती है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन शहरों के लिए रिंग रोड का निर्माण बहुत जरुरी है। हरियाणा के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से इस सड़क को भारत वर्ण माला-2 में शामिल कर लिया गया है लेकिन इसके तहत इस कार्य के शुरू होने में अभी काफी वक्त लगेगा।

मैं सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र, लाडवा व रादौर में इस सड़क पर रिंग रोड जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

(छह) सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम): देश के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयाँ सह सहायक कुशल मजदूर की श्रेणी में है जिन्हे मात्र 1000 (एक हजार) रू० मासिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है, जो वर्तमान में महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, जिसे बढ़ाने की अति आवश्यकता है।

अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि बिहार राज्य के रोहतास एवं कैमूर जिला सहित देश के सभी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की श्रेणी के रूप में रखते हुए इनके मानदेय की मासिक राशि की बढ़ोतरी करने हेतु संबंधित मंत्रालय को निदेर्शित करने की कृपा की जाए।

(सात) मध्य प्रदेश के मक्सी-रूठियाई रेल खंड का दोहरीकरण किए जाने के बारे में

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): संसदीय क्षेत्र राजगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र हैं एवं यह आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में स्थित है। यहाँ से इन्दौर, मुंबई, गुजरात, भोपाल, नागपुर, आगरा, दिल्ली का सीधा सड़क संपर्क होने के बाद भी यह क्षेत्र आजादी के 70 सालों से विकास के लिये आशान्वित रहा है। मोदी सरकार द्वारा आशान्वित से आकांक्षी स्वरूप दिया जाकर विगत वर्षों में सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण का संकल्प सिद्ध कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र मे पश्चिम-मध्य रेलवे के एकमात्र रेलखण्ड मक्सी- रुठीयाई रेलमार्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री द्वारा विद्युतीकरण की ऐतिहासिक सौगात दी गई है. इसी क्रम में रुठियाई से मक्सी रेलखंड का दोहरीकरण सर्वे आदि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर स्वीकृति लिये लंबित है, जिसकी स्वीकृति होने से सारंगपुर, ब्यावरा, पचोर, नरसिंहगढ़, चांचौड़ा, कुम्भराज, रुठियाई सहित समस्त राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लाखों लोगों एवं व्यापारी वर्ग को दिल्ली से मुंबई तक की सीधी सस्ती व कम दूरी की अनेक रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा एवं रेलवे को भी मालढुलाई के लिए फास्ट ट्रैक मिल सकेगा जिससे राजगढ़ के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

अतः राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जन आकांक्षाओं के अनुरूप माननीय रेलमंत्री जी से मक्सी-रूठीयाई रेलखण्ड के दोहरीकरण की स्वीकृति हेतु अनुरोध करता हूँ।

(आठ) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में रिंग रोड का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज अंतर्गत सिद्धार्थनगर की ओर दिलाना चाहता हूं। सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां उन्होंने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष बिताए थे। सिद्धार्थनगर को नीति आयोग द्वारा लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 112 आकांक्षी जिलों के रूप में भी पहचाना की गई। सिद्धार्थनगर के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सिद्धार्थनगर को एक आकांक्षी जिले के रूप में पहचानने और जिले में विकास और समृद्धि लाने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रयासों और दृष्टि और नेतृत्व प्रदान करने के लिए बेहद सराहना और आभारी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक भारत की सड़कों और राजमार्गों को अमेरिका की तरह बनाने का संकल्प जल्द ही पूरा होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर के बाहरी इलाके में रिंग रोड बनाने की आवश्यकता है। रिंग रोड से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी और पर्यटकों को सुगमता से यात्रा करने में मदद मिलेगी। रिंग रोड सिद्धार्थनगर के आसपास के जिलों को जोड़ने में भी मदद करेगी और यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करेगा।

(नौ) बिहार के औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): शिक्षा देश के विकास और प्रगति की रीढ़ है और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन ऐसे बेहतर तरीकों में एक है। हाल में ही नीति आयोग ने औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के स्थापना की सिफ़ारिश की हैं। औरंगाबाद वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित और आकांक्षात्मक जिला है। *एन.एच.* -19 एवं *एन.एच.* -98 पर स्थित औरंगाबाद बिहार के रोहतास, अरवल, गया, और झारखण्ड के पलामू, चतरा ज़िलों से जुड़ा हैं। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा। देश और विशेष रूप से बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष हज़ारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई हेतु दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह मेडिकल कॉलेज बिहार और झारखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी होगा। उक्त मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूखंड की कमी के कारण मैंने अपनी खुद की 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया हैं। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय बजट से कॉलेज का निर्माण कराये।

(दस) महाराष्ट्र के लातूर जिले के ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): महाराष्ट्र का लातूर जिला विगत तीन दशकों से प्रकृति की मार झेल रहा है। 1993 का भीषण भूकम्प, तीन दशकों का भीषण सूखा तथा पिछले दो सालों से अति वृष्टि के कारण यहां की खेती पूरी तरह बरबाद हो गई है, पानी की कमी के कारण यहां से सारे उद्योग पलायन कर चुके हैं एवं उद्योगों के अभाव में यहां भारी बेरोजगारी फैली हुई है। पिछले दो सालों की अति-वृष्टि के कारण यहां के पहले से ही बरबाद किसानों की खड़ी फसलें बरबाद हो गई, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों मवेशी बाढ़ में बह गए तथा हजारों मकान अति-वृष्टि के कारण पूरी तरह टूट गए अथवा बाढ़ में बह गए हैं। अब इस जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बरबाद हो गई है।

अब यह महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में गिना जाता है। इस जिले को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकसित किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक प्रोग्राम के तहत अब देश भर में 500 ब्लॉकों को चयन करने का फैसला किया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। मेरा लातूर जिला इस दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर जिले के अहमदपुर, चाकूर, देवनी, जलकोट, उडगीर व निलंगा ब्लॉकों को इस योजना के तहत विकास हेतु शामिल करके वहां विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए एवं इसके त्वरित विकास हेतु विशेष फंड उपलब्ध करवाकर इस जिले के चहुंमुखी विकास हेतु कदम उठाए जाएं ताकि यहां से पलायन कर चुके उद्योग धंधे वापस लौटें,

नौजवानों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हों, खेती को पुनर्जीवित किया जाए और परिणामस्वरूप यहां की अर्थव्यवस्था पुन: पटरी पर लौट सके।

(ग्यारह) संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं संविधान की आठवीं अनुसूची में करोडो राजस्थानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"हेलो मायड़ भाषा रो" अभियान के तहत अनेक वर्षो से सार्वजनिक मंचो पर यह मांग उठाई जा रही है। राजस्थानी भाषा बहुत प्राचीन है और इसका अपना एक अलग ही समृद्ध इतिहास और साहित्य है जिसे देश व विदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। इस भाषा को देश प्रदेश की कई साहित्यिक अकादमियों ने मान्यता दी हैऔर कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी यह शामिल है ।राजस्थानी फ़िल्में बहुत लोकप्रिय है और इस भाषा की मिठास और लोकगीत, भजन, धारावाहिक आदि भी जनप्रिय है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि "एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा सीखता है"। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्ष 2003 में सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर संसद को भेजा गया था और तत्कालीन गृहमंत्री ने 17 दिसंबर, 2006 को राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए आश्वासन दिया था। राजस्थानी भाषा की लोकप्रियता को देखते हुए इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने से देश के सबसे बड़े भूभाग वाले प्रान्त राजस्थान के करोड़ो लोगो की भावानाओ को उचित सम्मान मिलेगा और राजभाषा हिंदी के विकास और संरक्षण में मदद मिलेगी।

(बारह) राजस्थान के जयपुर में खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): राजस्थान खेल एवं खिलाडियों का प्रदेश है। राजस्थान राज्य ने देश को कई अन्तराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी दिये है। राजस्थान के कई प्रसिद्व खिलाडियों ने ओलंपिक जैसी सर्वोच्च स्पर्धाओं में कप्तानी भी की है।

मेरा संसदीय क्षेत्र जयपुर राजस्थान की राजधानी है। वहा खेल एवं खिलाडियों के विकास के लिए नेशनल सैंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में जयपुर में केवल एक ही साई (स्पोर्टस अथोरिटी ऑफ इंडिया) का ट्रेनिंग सेंटर है। जहां पर केवल 5 ही खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जयपुर में नेशनल सैंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने से खिलाडियों को अच्छी सुविधाओं के साथ बेहतर प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर और भी अच्छा प्रदर्शन कर विश्व में भारत का नाम रोशन कर सकेगें।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर में अविलम्ब नेशनल सैंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवाये जाने की कृपा करें।

(तेरह) रेलवे माल गोदाम के साथ-साथ गौरहाटी घाट में कोयला डिपो पर कटाव के प्रभाव की जाँच किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली):मेरे हुगली लोक सभा क्षेत्र से निकटवर्ती चापदानी नगरपालिका के अंतर्गत गौरहाटी घाट पर कोयला डिपो, रेलवे माल गोदाम के साथ गंगा से सटा हुआ, कटाव से ग्रस्त है। परिणामस्वरूप, क्षेत्र में मकान, सड़कें और गंगा के घाट नदी में समाते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान दें ताकि क्षेत्र के निवासियों को इस कटाव से बचाया जा सके।

(चौदह) पर्ल एग्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड के निवेशकों का धन वापस किए जाने के बारे में

[हिंदी]

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): पी.ए.सी.एल (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लि.) में करोड़ो निवेशको (5 करोड़ 85 लाख निवेशक) का भुगतान अटक गया है। यह गरीब, एवं किसान व मजदूर वर्ग से आते है। सरकार की मंशा चूंकि निवेशको को भुगतान दिलाने की है इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो भुगतान राशि की सीमा है वो 17 हजार रूपये है वो भी सभी निवेशको को नही मिल रहा है। जिनके दस्तावेज जमा हुये है उसमे से बीस प्रतिशत निवेशको को ही भुगतान मिला है। अन्य को भुगतान जल्दी मिले इस हेतु कार्यवाही का आग्रह करता हूँ इसके साथ ही कम्पनी ने 2014 - 2015 में बड़ी संख्या में निवेशको के दस्तावेज अपने पास जमा कर लिये उनका भुगतान आज दिनांक तक नही किया गया है एवं दस्तावेज भी कम्पनी के पास ही है, यह गंभीर विषय है। सरकार से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह करता हूँ वर्तमान में जो भुगतान की सीमा है उसे तेजी से बढाई जावे (एक लाख तक) ताकि अधिकांश लोगो को भुगतान मिल सके क्योकि निवेशको का अधिक पैसा जमा है।

(पंद्रह) कुलियांग गांव के जैंतिया हिल्स में लैंड कस्टम स्टेशन खोले जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलौंग): गांवों के लोगों द्वारा अपने सामान और सेवाओं के अधिक आयात और निर्यात की सुविधा के लिए नदी के माध्यम से लैंड कस्टम स्टेशन खोले जाने की मांग की जा रही है। मेघालय के लोग मुख्य रूप से खनन गतिविधियों में शामिल होकर अपनी आजीविका कमाते हैं। कोयले और चूना पत्थर का निर्यात के कारण हजारों लोगों का पेट भरता है। कुलियांग गांव जैंतिया हिल्स में स्थित है। यह लुखा नदी के माध्यम से भू सीमा शुल्क स्टेशन खोलने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, जिसका उपयोग भारत और बांग्लादेश के बीच चूना पत्थर और कोयला सहित अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए सबसे अच्छा किया जा सकता है। इसलिए मैं लुखा नदी के माध्यम से कुलियांग गांव में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलने की मांग करता हूं। इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही बिजली एवं कानून व्यवस्था संबंधी सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से व्यवस्थित की जाएं। यह विकास खनन गतिविधियों में शामिल लाखों गरीब लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह विशेष रूप से जैंतिया हिल्स के लोगों और उत्तर-पूर्व के राज्यों के समग्र विकास के लिए एक आशीर्वाद होगा।

(सोलह) किशनगंज-जलालगढ़ रेल लाइन परियोजना के बारे में

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): मैं अपने किशनगंज संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधित एक मुद्दे की ओर माननीय रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किशनगंज और जलालगढ़ के बीच रेलवे लाइन नहीं होने के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, यह विकास के लिए एक प्राथमिकता वाली परियोजना होगी। इस परियोजना से सीमांचल क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। इसके निर्माण के लिए कई वर्षों से अनुरोध किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से किशनगंज जलालगढ़ परियोजना पर ध्यान देने और देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित होने में मदद करने का अनुरोध करता हूं। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष 2023-2024 से शुरू होने वाले किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी देने पर तत्काल ध्यान दिया जाए।

(सत्रह) ठोस अपशिष्ट उपचार प्रबंधन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (वडकारा): केरल की वाणिज्यिक राजधानी कोच्चि में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मपुरम अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में आग लगने के एक पखवाड़े बाद भी जले हुए प्लास्टिक की तीखी गंध से कोच्चि परेशान है। कूड़े के ढेर राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा करते हैं। शेष भारत की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम 2019में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त करना है। परंतु इस मिशन में भूमिगत सीवेज प्रणाली को फिर से चालू करने और मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और मैला ढोने वालों के पुनर्वास की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए बहु-सूचक सर्वेक्षण के अनुसार, 21.3% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं थी - चाहे वह केवल परिवार के लिए शौचालय हो, भवन के लिए सामान्य उपयोग की सुविधा हो, या सामुदायिक शौचालय हो। 2019 में, माननीय प्रधान मंत्री ने स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ठोस कचरे के खतरे को प्रभावी तरीके से संबोधित किया जाए। भारत में अत्यधिक प्रचलित हाथ से मैला ढोने की प्रथा, को समाप्त किया जाना चाहिए और श्रमिकों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

(अठारह) धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मपुरी): मैं अपने धर्मपुरी संसदीय क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए डीआरडीओ द्वारा की गई पहल के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसे 2010 के दौरान तमिलनाडु के धर्मपुरी में प्रस्तावित किया गया था। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने उक्त उद्देश्य के लिए, धर्मापुरी जिले के नेक्कुंधी गांव में भूमि की पहचान की है। डी.आर.डी.ओ. के अधिकारियों ने भी उक्त स्थल का निरीक्षण किया था। फिर भी, प्रस्तावित परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। धर्मपुरी एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। इसलिए, रोजगार सृजन और जिले को औद्योगिक रूप से समृद्ध क्षेत्र बनाने में सहायता के रूप में इस परियोजना की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुमान के मुताबिक, यह डी.आर.डी.ओ. अनुसंधान केंद्र 15,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा और 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए, मैं माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे डी.आर.डी.ओ. को प्रस्तावित परियोजना में तेजी लाने की दिशा में काम शुरू करने और धर्मापुरी जिले की बेहतरी के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू करने का निर्देश दें।

(उन्नीस) स्कूल छोड़ने की समस्या से निपटने के लिए समग्र शिक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): मैं बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत का मुद्दा उठाना चाहूंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारत में प्रारंभिक स्तर के 9.30 लाख बच्चे स्कूलों में नामांकित नहीं हैं, तथा लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक संख्या में स्कूल से बाहर हैं। भारत में प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के कुल 9,30,531 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनमें 5.02 लाख लड़के और 4.27 लाख लड़कियाँ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक 3.96 लाख है, इसके बाद बिहार में 1.34 लाख और गुजरात में 1.06 लाख है। स्कूल छोड़ने वालों की यह बड़ी संख्या समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन में कमियों का संकेत देती है, जिससे हमारे देश में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इससे बच्चे मजदूरी करने या फिर तस्करी जैसी आपराधित प्रवृत्तियों की तरफ चले जाते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान करके इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाएं और उन्हें औपचारिक शिक्षा में मुख्यधारा में शामिल करें।

(बीस) सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के उचित क्रियान्वयन के बारे में

श्री श्रीधर कोटागिरी (एलुरु): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर..57(ई) दिनांक 12.08.21 के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से, भारत ने एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनकी उपयोगिता कम है लेकिन जो अक्सर इधर-उधर बिखरी रहती हैं, जैसे प्लास्टिक, स्ट्रॉ, कटलरी और सिगरेट के पैकेट। हालाँकि, प्रतिबंध लागू होने के कई महीनों बाद भी, ज़मीनी स्तर पर बहुत कम प्रगति हुई है। कई प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुएँ अभी भी बाज़ारों, भोजनालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रचलन में देखी जा सकती हैं। विक्रेताओं ने बताया कि इन उत्पादों के उपयोग को रोकने के लिए न तो कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है और न ही कोई सलाह दी गई है तथा ये उत्पाद हमेशा की तरह थोक में उपलब्ध हैं। इन प्लास्टिक वस्तुओं के निरंतर उपयोग से भारत में प्रति वर्ष 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पन्न होता है, जिसका अधिकांश हिस्सा एकत्र नहीं किया जाता, परिणामस्वरूप हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित हो रहा है। इस प्रकार, इन उत्पादों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के साथ घोषित प्रतिबंध का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। इस संबंध में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित प्रतिबंध के अनुरूप उचित कदम उठाए और साथ ही भारत में सिगरेट बनाने और/या बेचने वाले मुट्ठी भर निर्माताओं को नोटिस जारी करने पर विचार करे। पैकेजिंग में किसी भी प्लास्टिक सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग न करें और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएं।

(इक्कीस) मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रदूषण के बारे में

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुंबई दक्षिण-मध्य): मुंबई महानगर क्षेत्र सबसे बुरे प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है। मुंबई जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों का सामना करने वाले उच्च जोखिम वाले शहरों में से एक है। मुंबई में जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विकास के तरीकों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। डेटा की निगरानी और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास हमें शहर को स्वच्छ बनाने में मदद करेंगे। यह पाया गया है कि शहर के 50 प्रतिशत से अधिक प्रदूषण का कारण राज्य और केन्द्र सरकार की भूमि पर निर्माण गतिविधियों में अचानक वृद्धि, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि तथा इस शीतकाल में हवा की गति में परिवर्तन है। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि सभी सरकारी एजेंसियां समन्वय स्थापित कर इस साझा उद्देश्य की दिशा में काम करें तो इससे मुंबई के बढ़ते प्रदूषण संकट का समाधान हो जाएगा और शहर एक बार फिर रहने के लिए बेहतर स्थान बन जाएगा। एन.सी.आर. की तरह, सरकार को भी प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए और मुंबई में प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

(बाईस) सुपौल जिले को आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल, बिहार का सीमावर्ती बाढ़ग्रस्त तथा अतिपिछड़ा जिला है। सुपौल की जनसँख्या 26 लाख के करीब है तथा सुपौल की जनता की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण शिक्षा, रोजगार, यातायात परिवहन तथा मरीजों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। ऐसी तमाम सुविधाओं को प्रदान करने के लिए मानवीय आधार पर जनहित में सुपौल जिला को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला में शामिल करने की कृपा की जाए।

(तेईस) ओडिशा में कोविड प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में

[अनुवाद]

कुमारी चंद्राणी मुर्मु (क्योंझर): सार्वजनिक सुनवाई उन स्थानीय क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहां पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए उद्योग और खदानें स्थित हैं या स्थापित होने वाली हैं। लोगों की अपने-अपने सरोकार होते हैं, ख़ासकर जब व्यापार और पर्यावरण विवाद का मुद्दा बन जाते हैं।

कोविड काल के दौरान देशभर में जनसुनवाई के लिए मानक तय किये गये। सुनवाई में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध थे। अब मुद्दा यह है कि क्या ओडिशा और देश में अन्य जगहों पर मानदंडों का पालन किया गया था। क्या जिला प्रशासन ने ओडिशा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा था और क्या जनता से कोविड परीक्षण प्रमाणपत्र लिया गया था। यदि ऐसा नहीं है, तो ऐसी सुनवाई के बाद कोविड फैलने की संभावना है। विभिन्न वर्गों से कुछ शंकाएं सामने आई हैं कि सुनवाई के दौरान मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

इसलिए, सभी संदेहों को नकारने के लिए, मैं माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे जन सुनवाई में उपस्थित लोगों की सूची, नकारात्मक कोविड परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ साझा करें ताकि स्पष्टता लाई जा सके और सभी अटकलों पर विराम लग सके। मैं यह भी चाहूंगी कि मानदंड साझा किये जाएं।

(चौबीस) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने और मंडुरी हवाई अड्डे से उड़ानों को शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): जनपद आजमगढ़ मुख्यतः कृषि व्यवसाय पर आधारित जिला है, यहां कृषि क्षेत्र की संभावनाएं व्यापक हैं जिसमें उद्यमशील कृषि आधारित फसलो के लिए बहुत से नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। जिसमें उद्यमशील फसलों के संवर्धन संरक्षण एवं प्रसंस्करण के माध्यम से मशरूम, सब्जियां, मोटे अनाज, गन्ना, मिर्चा की खेती, सनई बागवानी की उद्यमशील खेती का उन्नयन एवं आजमगढ़, बुढ़नपुर, रानी की सराय, ठेकमा,निजामाबाद तहसील के किसानों का संरक्षण हो सके एवं पूर्वांचल में कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक रूप में हो, इस पर सरकार को आजमगढ़ को केंद्र मानकर इसको अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए तभी सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर यह सभी ग्रामीण इलाके इन विश्वविद्यालयों से लाभान्वित हो सकेंगे।

अभी लालगंज में कृषि विज्ञान केंद्र खुला है और कोटवा में कृषि विज्ञान केंद्र है और जनपद में कृषि महाविद्यालय भी हैं इसी महाविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए और साथ ही मंडूरी हवाई अड्डे को शीघ्र संचालित किया जाए। उद्योग आधारित कृषि खेती को बढ़ावा देने के विशेष क्षेत्र को घोषित किया जाए और कमर्शियल क्रॉप्स जैसे मशरूम, सनई, मिर्चा, गन्ना,मोटे अनाज बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके।

(पच्चीस) बिहार में खगड़िया और पूर्णिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 को चार लेन का किए जाने और इसके निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने के बारे में

चौधरी महबूब अली कैसर **(**खगड़िया**):** मैं भारत सरकार का ध्यान खगड़िया लोकसभा के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से जुड़े अति महत्वपूर्ण समस्या की और आकर्षित करना चाहता हूं। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम को जोड़ने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राज्य मार्ग को बिहार के बेगूसराय जिला से खगड़िया तक फोरलेन किया जा रहा है, जो कि लगभग पूर्ण होने वाला है। परंतु खगड़िया से पूर्णिया तक फोरलेन नहीं होने के कारण आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। खगड़िया-पूर्णिया खंड पर यातायात का भार अधिक हो गया है जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ यातायात जाम की समस्या भी बनी रहती है। यदि खगड़िया से पूर्णिया तक फोर लेन का निर्माण हो जाता है तो इन सभी समस्या से निजात मिल जाता। महेशखूंट बेलदुर सिमरी बख्तियार होते हुए राजमार्ग संख्या 107 का निर्माण हो रहा है जिसकी गति काफी धीमी है। स्थानीय जनता द्वारा गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठाया जाता है। अतः भारत सरकार से मांग है कि खगडिया से पूर्णिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन बनाया जाए और राजमार्ग संख्या 107 के कार्य को जल्दी करते हुए गुणवत्ता की भी जांच अपने स्तर से कराई जाए।

(छब्बीस) गुंटूर यार्ड की रीमॉडलिंग किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): गुंटूर के लोग अनुमानित 125 करोड़ रुपये के साथ गुंटूर यार्ड को फिर से तैयार करने के काम को मंजूरी देने के लिए आभारी हैं, ताकि गुंटूर यार्ड को चारों ओर से सिकन्दराबाद, नंद्याल, विजयवाड़ा और तेनाली से आने वाले यातायात से निपटने के लिए मौजूदा बाधाओं से बचा जा सके। इससे वर्तमान और भविष्य के यातायात को संभालने के लिए ट्रेनों को रोके बिना बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने/बनाने में मदद मिलेगी और स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर 24 कोच वाली यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन विकास बिंदु हैं और रेलवे ने गुंटूर रेलवे स्टेशन में सुधार के लिए सचेत निर्णय लिया है और यात्रियों और भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा के तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विकास के लिए मंगलागिरी रेलवे स्टेशन का भी चयन किया है। गुंटूर के लोग वास्तव में आभारी हैं कि इन्हें आत्मनिर्भर स्टेशन योजना के अंतर्गत लिया जा रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री से उपरोक्त कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूरा करने की अपील करता हूं, ताकि गुंटूर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल सके।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 मार्च, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.16 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 *मार्च,* 2023 / 30 *फाल्गुन,* 1944 (*शक*) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित